क्रम-संख्या—185

रजि० नं० एल. डब्लू. /एन. पी. 890

लाइसेन्स नं० डब्लू. पी०–41

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 5 अगस्त, 2005

श्रावण 14, 1927 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 983/सात–वि-1-1(क)/22-2005

लखनऊ, 05 अगस्त, 2005

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग (संशोधन) विधेयक, 2005 पर दिनांक 04 अगस्त, 2005 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18 सन् 2005 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है:–

उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2005

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18 सन् 2005)

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग अधिनियम, 1996 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम

1–यह अधिनियम उत्तर प्रदेश पिछडा वर्ग राज्य आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2005 कहा जाएगा।

राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 1 सन् 1996 की धारा 4 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग अधिनियम, 1996 की, धारा 4 में,–

(क) उपधारा (1) में प्रथम परन्तुक निकाल दिया जायेगा और द्वितीय परन्तुक में शब्द 'परन्तु यह और कि' के स्थान पर शब्द 'परन्तु यह कि' रख दिये जायेंगे,

(ख) उपधारायें (1-क) और (1-ख) निकाल दी जायेंगी।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग अधिनियम, 1996 की धारा 4 में आयोग के गठन और उसके अध्यक्ष एवं सदस्यों की पदावधि की व्यवस्था है। उक्त धारा के विद्यमान उपबन्धों के अनुसार अध्यक्ष या प्रत्येक सदस्य पद ग्रहण करने के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि तक या पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पद धारण करेगा। सामाजिक पृष्ठभूमि के दीर्घ अनुभव रखने वाले व्यक्तियों का लाभ उठाने के उद्देश्य से यह विनिश्चय किया गया है कि अध्यक्ष या सदस्य का पद धारण करने के लिए आयु सीमा से सम्बन्धित उपबन्ध को निकालने के लिए उक्त अधिनियम को संशोधित किया जाय।

तदनुसार उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग (संशोधन) विधेयक, 2005 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से
धर्मवीर शर्मा
प्रमुख सचिव।

No. 983/VII-V-1-1(Ka) 22-2005

Lucknow : Dated August, 05, 2005

IN pursuance of the provisons of clause (3) of article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Pichhada Varg Rajya Ayog (Sanshodhan) Adhiniyam, 2005 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 18 of 2005) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on August 4, 2005:—

THE UTTAR PRADESH STATE COMMISSION FOR BACKWARD CLASSES (AMENDMENT) ACT, 2005

(U.P. Act no. 18 of 2005)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh State Commission for Backward Classes Act, 1996.

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-sixth Year of the Republic of India.

Short title

(1) This Act may be called the Uttar Pradesh State Commission for Backward Classes (Amendment) Act, 2005.

Amendment of section 4 of President's Act no. 1 of 1996

2. In section 4 of the Uttar Pradesh State Commission for Backward Classes (Amendment) Act, 1996,

(a) in sub-section (1) the first proviso shall be *omitted* and in the second proviso *for* the words "Provided further that" the words "Provided that" shall be *substituted*.

(b) sub-sections (1-A) and (1-B) shall be *omitted*.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Section 4 of the Uttar Pradesh State Commission for Backward Classes Act, 1996 provides for the Constitution of the Commission and the term of office of the Chairman and the members thereof. In accordance with the existing provisions of the said section the Chairman or every member shall hold office for term of three years from the date he assumes office or till the attaining the age of sixty-five years. In order to take advantage of persons of social background having long experience it had been decided to amend the said Act to omit the provision relating to age limit for holding office of the Chairman or the member.

The Uttar Pradesh State Commission for Backward Classes (Amendment) Bill, 2005 is introduced accordingly.

By order,
D.V. SHARMA,
Pramukh Sachiv.

जी०एस०यू०पी०–ए०पी० 342 राजपत्र–(हि)–2005–(719)–597 प्रतियां–(कम्प्यूटर/आफसेट)।
जी०एस०यू०पी०–ए०पी० 70 सा० विधायी–2005–(720)–850 प्रतियां–(कम्प्यूटर/आफसेट)।